

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-2019/2019/

दिनांक : /09/2019

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
समस्त मेडिकल कॉलेज,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-पीजी-2019 में सेवारत कोटे के तहत पीजी कोर्स करने वाले चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय के पत्रांक 652 दिनांक 25.7.19 एवं क्रमांक 718 दिनांक 8.8.19 के साथ पीजी-2019 में अध्ययनरत चिकित्सकों के अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु संलग्न प्रपत्र में सूचना चिकित्सकों से पूर्ण करवाते हुये निदेशालय को भिजवाने हेतु निवेदन किया था, किन्तु अध्ययन अवकाश हेतु उक्त प्रपत्र में सूचना प्राप्त नहीं हो रही है ! प्रपत्र में चाही गई सूचना के अभाव में राज्य सरकार द्वारा अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

अतः पत्र के साथ प्रपत्र की प्रति पुनः संलग्न कर भिजवाते हुए निवेदन है कि संलग्न प्रपत्र की पूर्ति कराते हुए मूल बॉण्ड, अवकाश आवेदन पत्र संलग्न कर प्रेषित करावे जिससे अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार ।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चिअ/पीजी-2019/2019/ 899

दिनांक : 11 /09/2019

प्रतिलिपि :- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र एवं संलग्न प्रपत्र सभी मेडिकल कॉलेज की मेल-आईडी पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

69
11/9/2019

पीजी 2019 में अध्ययन अवकाश स्वीकृति हेतु चैकलिस्ट।

क.सं.	नाम चिकित्सक	पूर्व पदस्थान का नाम	पदस्थापित जिले का नाम	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	प्रवेशन काल पूर्ण की तिथि	सेवारत कोटि के तहत पीजी में चयन सूचि में कमांक	कॉलेज में कार्यग्रहण करने की तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	मूल बॉण्ड संतान हों/नहीं
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सभी चिकित्सक अध्ययन अवकाश की पात्रता रखते हैं तथा सभी चिकित्सकों का चयन सेवारत कोटि के तहत हुआ है।

हरताक्षर एवं सील